

बना किसी वपिक्ष के चुनाव जीतना

यह एडिटरियल 26/04/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित [“Questioning the polls ‘rain washes out play’ moments”](#) लेख पर आधारित है। इसमें गुजरात के सूरत लोकसभा नरिवाचन कषेत्र से नरिवाचन लड़ रहे एक उम्मीदवार के नरिवाचि नरिवाचति हो जाने और देश भर में चुनावी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसके प्रभावों के संबंध में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लयि:

[नरिवाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, 61वां संवधान संशोधन अधनियम, 1984, बूथ कैपचरगि, आदरश आचार संहति, वोटर वेरफाइड पेपर ऑडिट टरेल \(VVPAT\), मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त \(नयुक्त, सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि\) अधनियम, 2023, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य वधिानसभाएँ।](#)

मेन्स के लयि:

'नरिवाचि नरिवाचति होने' के परणाम तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव।

गुजरात के सूरत [लोकसभा](#) नरिवाचन कषेत्र से सत्तारूढ दल (भाजपा) के उम्मीदवार या अभ्यर्थी को नरिवाचि नरिवाचति घोषति कयि गया है। यह नरिवाचि नरिवाचन की स्थति तब बनती है जब किसी नरिवाचन कषेत्र में अन्य सभी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लें या अयोग्य घोषति कर दिए जाएँ, जिससे मैदान में केवल एक उम्मीदवार रह जाए। जब ऐसा परदृश्य उत्पन्न होता है तब औपचारिक रूप से नरिवाचन कराने की आवश्यकता के बिना ही उस उम्मीदवार को वजियी घोषति कर दिया जाता है। यहाँ एक वजिता तो होता है लेकिन कोई 'पराजति' पक्ष नहीं होता। यहाँ केवल वे ही होते हैं जिन्हें नयिमों के तहत मैदान से बाहर कर दिया गया और जिन्होंने 'स्वेच्छया' अपना नाम वापस लेने का नरिणय लयि।

नरिवाचन संबंधी कानूनों और व्यवहार के मौजूदा प्रावधानों में नरिवाचि नरिवाचति होना पूरणतः वैध है। कोई व्यक्ति लोगों द्वारा उसे नरिवाचति कयि जाने के बिना ही सबसे बेहतर प्रतनिधि के रूप में उभरता है, क्योंकि मतपत्र पर वही एकमात्र वकिलप होता है। यह अपेक्षति प्रयास के बिना ही कुछ हासिल कर लेने जैसा है। अब तक कम से कम 35 उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जो लोकसभा के लयि नरिवाचि नरिवाचति हुए। इनमें से अधिकांश मामले स्वतंत्रता के बाद आरंभिक दो दशकों में सामने आए, जबकि नरिवाचि नरिवाचति होने का पछिला मामला वर्ष 2012 में सामने आया था।

नरिवाचनों के संचालन नयिम 1961 के नयिम 11 में कहा गया है कि: “(1) **रटिरनगि ऑफसिर (RO)** नरिवाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी के पश्चात् तुरंत उस सूची की एक प्रत अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा और जहाँ नरिवाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर या उससे कम हो, वहाँ वह सूची लगवाने के ठीक पश्चात् धारा 53 की, यथास्थति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन नरिवाचन का परणाम, प्ररूप 21 से 21B तक में से किसी ऐसे एक प्ररूप में, जो समुचित हो, घोषति करेगा...”


नोट

नरिवाचनों का संचालन नयिम 1961 (Conduct of Election Rules 1961):

- **आशयति नरिवाचन की लोक सूचना:** आशयति नरिवाचन की लोक सूचना, जो धारा 31 में नरिदषि है, प्ररूप 1 में होगी और नरिवाचन आयोग के कनिहीं नदिशों अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से प्रकाशति की जाएगी जैसी रटिरनगि ऑफसिर ठीक समझता हो।
- **नामांकन पत्र या नामनरिदेशन पत्र:** हर नामनरिदेशन पत्र, जो धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन उपस्थति कयि गया है, 2A से 2E तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में पूरा कयि जाएगा, जैसा समुचित हो:
 - परंतु प्ररूप 2A या प्ररूप 2B में नामनरिदेशन-पत्र में प्रतीकों के बारे में घोषणा को पूरी करने में असफलता या पूरी करने की त्रुटि की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह धारा 36 की उपधारा (4) के अर्थ के भीतर सारवान स्वरूप की त्रुटि है।
- **नामांकन पत्र देते समय फाइल कयि जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप:** यथास्थति, अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावकर्ता, जैसा भी मामला हो, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रटिरनगि ऑफसिर को नामांकन पत्र सौंपते समय उसे, प्रथम श्रेणी मजसिस्ट्रेट या किसी नोटरी के समक्ष प्ररूप 26 में अभ्यर्थी द्वारा ली गई शपथ का एक शपथ पत्र भी देगा।
- **संसदीय और सभा नरिवाचन कषेत्रों में नरिवाचनों के लयि प्रतीक:** [नरिवाचन आयोग](#) भारत के राजपत्र में और प्रत्येक राज्य के शासकीय

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकों का, जिन्हें **संसदीय** या सभा **नरिवाचन कक्षेत्रों** में नरिवाचनों में के अभ्यर्थी चुन सकेंगे और उन नरिबंधनों का, जिनके अध्यक्षीन उनका चुनाव होगा, वनरिदेश करेगा।

Electoral Cycle



//

वर्तमान मुद्दा:

- **वरीधी दल के उम्मीदवार के नामांकन का वरीध:**
 - इस मामले में, सूरत नरिवाचन कक्षेत्र के वपिक्षी दल के उम्मीदवार ने नामांकन पत्रों के तीन सेट फाइल कयि थे। इन तीनों नामांकन पत्रों के प्रस्तावकों में उसका बहनोई, भतीजा और कारोबारी साझेदार शामिल थे। सत्तारूढ़ दल के एक कार्यकर्ता ने वपिक्षी उम्मीदवार के नामांकन पर आपत्ता जताते हुए आरोप लगाया कि उसके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर जाली थे।
- **नामांकन पत्रों की असवीकृति:**
 - RO को उन प्रस्तावकों से भी हलफनामे प्राप्त हुए, जहाँ दावा कयि गया कि उन्होंने उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कयि हैं। जताई गई आपत्तियों पर उम्मीदवार से एक दिन के भीतर जवाब/स्पष्टीकरण की मांग की गई। चूँकि नरिधारित समयसीमा के भीतर प्रस्तावकों को संवीक्षा के लिये RO के समक्ष पेश नहीं कयि जा सका, इसलिये उसके नामांकन पत्रों के तीनों सेट खारजि कर दिए गए।

नोट

रटिरनगि ऑफसिर:

- रटिरनगि ऑफसिर (ROs) कसिी नरिवाचन कक्षेत्र वरीष में नरिवाचन के संचालन की नगरानी के लिये ज़मिमेदार होते हैं। वे भारत नरिवाचन आयोग (ECI) द्वारा नयुिक्त कयि जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं।
- उनके कर्तव्यों में उम्मीदवारों से नामांकन स्वीकार करना, नामांकन पत्रों की जाँच करना, उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित करना, मतदान प्रक्रिया का संचालन करना और मतों की गनिती कराना शामिल है। ROs यह सुनिश्चित करते हैं कि नरिवाचन उचित एवं नषिपक्ष तरीके से और वधि के अनुरूप आयोजित कयि जाएँ।
- **अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी खारजि:**
 - नरिवाचन नयिम कसिी राजनीतिक दल द्वारा स्थानापन्न उम्मीदवार (substitute candidate) खड़ा करने की अनुमतदिते हैं। यदभूल उम्मीदवार का नामांकन खारजि हो जाता है तो इस स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार कयि जा सकता है। इस मामले में वपिक्षी

दल ने अपना स्थानापन्न उम्मीदवार खड़ा किया था।

- हालाँकि, इस स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन पत्र भी इस कारण से खारजि कर दिया गया कि प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं थे। शेष अन्य उम्मीदवारों के नामांकन या तो खारजि कर दिए गए या वे वापस ले लिये गए, जिससे सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को वजिहा घोषित करने का रास्ता साफ हो गया।

भारत में नामांकन संबंधी कानून

■ RPA 1951 की धारा 33:

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) की धारा 33** में अधिमिनियम नामनिर्देशन या नामांकन की शर्तें शामिल हैं। अधिनियम के अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई नरिवाचक भारत में किसी भी नरिवाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।

■ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रस्तावक:

- हालाँकि, उम्मीदवार के प्रस्तावक/प्रस्तावकों को उस संबंधित नरिवाचन क्षेत्र का नरिवाचक होना चाहिये जहाँ नामांकन दाखलि किया जा रहा है। किसी मान्यता प्राप्त दल (राष्ट्रीय या राज्य) के मामले में उम्मीदवार के पास एक प्रस्तावक का होना आवश्यक है।

■ गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रस्तावक:

- गैर-मान्यता प्राप्त दलों द्वारा खड़े किये गए उम्मीदवारों और नरिदलीय उम्मीदवारों के लिये दस प्रस्तावकों का होना आवश्यक है। एक उम्मीदवार अलग-अलग प्रस्तावकों के समर्थन के साथ अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखलि कर सकता है। इसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार के नामांकन की स्वीकृति को अधिकतम संभव बनाना है, जहाँ चार में से कोई एक भी व्यवस्थिति होने के लिये स्वीकृत हो जाए।

■ नामांकन पत्रों की संवीकषा:

- RPA की धारा 36 रटिर्नगि ऑफिसर (RO) द्वारा नामांकन पत्रों की संवीकषा के संबंध में कानून नरिदषिट करती है। इसमें यह प्रावधान है कि RO किसी ऐसी त्रुटि के लिये किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो सारवान प्रकृतिकी नहीं है।
 - हालाँकि, यह नरिदषिट करता है कि उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर का असली नहीं होना अस्वीकृति का आधार है।

उम्मीदवारों के नरिवरिध नरिवाचन से संबद्ध वभिन्न मुद्दे

■ 'नोटा' (NOTA) मतदाताओं के लिये चिंताएँ:

- सवाल उठाया जा रहा है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं को नोटा (None of the Above- NOTA) विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है। नोटा का विकल्प मूल रूप से कानून में प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को इस बारे में 'प्रबुद्ध' करने के लिये कि कुछ मतदाता उनके बारे में क्या राय रखते हैं, न्यायालय के नरिदेशों पर इसे शामिल किया गया।
- यदि यह कहा जाए कि नोटा किसी भी तरह से नरिवाचन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है तो नोटा के विकल्प में वशिवास करने वाले मतदाताओं को यह सुनना अपमानजनक लग सकता है। हालाँकि अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक दलों पर इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता नज़र नहीं आता।
 - इस प्रकार, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने के लिये एक प्रगतशील सुधार के रूप में जिसकी कल्पना की गई थी, वह व्यवस्था में इस स्थिति में आ गया है कि इसकी वैधता कमज़ोर हो गई है।

■ मतदाताओं की प्रासंगिकता को कम आँकना:

- नरिवरिध नरिवाचन एक अर्थ में 'नरिवाचक' (जिस RPA में "किसी नरिवाचन क्षेत्र में वह व्यक्ति जिसका नाम उस नरिवाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त नरिवाचक नामावली में प्रवषिट है और अधिनियम में वर्णित नरिहताओं में से किसी के अध्यक्षीन नहीं है" के रूप में परिभाषित किया गया है) को अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया से पूरी तरह अपवर्जित कर देता है।
 - जिस व्यक्ति को नरिवाचक का एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ, वह संसद में संपूर्ण नरिवाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि के रूप में बैठेगा। यह ऐसा द्वंद्व है जो वर्तमान नरिवाचन प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। इसे व्यावहारिक बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है, भले ही यह पूरी तरह से समुचित न लगे। मत के लिये जब तक अलग-अलग पक्षों की मांग नहीं होगी, तब तक मतदाताओं की पसंद परकिल्पति ही होगी, क्योंकि उनके पास पसंद के लिये विकल्प ही नहीं होगा।

■ चरम स्थिति की कल्पना:

- एक चरम स्थिति में, 543 संसदीय नरिवाचन क्षेत्रों में सभी उम्मीदवार (भले ही उनकी संख्या 10,000 हो और वे वभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हों या स्वतंत्र उम्मीदवार हों) प्रणाली के साथ खलिवाड़ कर सकते हैं और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लेकिन लोकतंत्र की भावना को गंभीर रूप से आघात पहुँचाते हुए एक बलियिन मतदाताओं को उनके सांघिक अधिकार से वंचित कर सकते हैं।
- यह तर्क दिया जा सकता है कि मतदाता तब भी अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं जब चुनाव लड़ने के लिये कोई उम्मीदवार ही न हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब प्रतियोगियों और मतदाताओं के बीच हति मौजूद हों। मत देने के लिये मत मांगे जाने की शर्त लागू होती है।

■ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 65 के तहत अस्पष्ट प्रावधान:

- प्रणाली को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में देखा जाता है क्योंकि RPA प्रावधान करता है कि मतदान के पूर्ण बहिष्कार को प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा शून्य मत प्राप्त करने के रूप में देखा जाएगा और यह धारा 65 के दायरे में होगा जो 'मत बराबर होने' से संबंधित है।
 - धारा 65 में कहा गया है कि: "यदि मतों की गणना के समाप्त होने के पश्चात् यह पाता चलता है कि किसी अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं, और मतों में से एक मत जोड़ दिए जाने से उन अभ्यर्थियों में से कोई नरिवाचति घोषित किये जाने के लिये हकदार हो जाएगा, तो रटिर्नगि ऑफिसर उन अभ्यर्थियों के बीच लॉट या लॉटरी द्वारा तत्क्षण वनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस अभ्यर्थी के हक में लॉट नकिली है उसे अतरिकित मत प्राप्त हो गया है।"
- नरिवरिध नरिवाचन लोगों के प्रतिनिधि के चयन में लोगों की भागीदारी के बिना लोगों की इच्छा को प्रणाली की व्यावहारिक सुगमता से प्रतस्थापित कर देता है। जहाँ लोकतंत्र को "जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिये सरकार" के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह

नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के वरिद्ध उपलब्ध वभिन्न उपाय:

■ नरिवाचन न्यायाधिकरण वकिलपों की खोज:

- RPA 1951 ऐसे वविदों को सुलझाने के लिये नरिवाचन न्यायाधिकरण (Election Tribunal) की स्थापना करता है। अधिनियम की धारा 100 कसिी उम्मीदवार के नरिवाचन को नरिस्त घोषति करने के आधर की रूपरेखा नरिदषिट करती है। नरिवाचन न्यायाधिकरण के नरिणय से असंतुषट पक्ष उच्च न्यायालय और अंततः **सर्वोच्च न्यायालय** में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणयों के माध्यम से चुनावी वविदों के संबंध में महत्त्वपूर्ण दृष्टांत स्थापति कयि हैं।

■ RPA 1951 के साथ पठति अनुच्छेद 329 का आशरय लेना:

- RPA 1951 के साथ पठति संवधिन के अनुच्छेद 329 (b) में प्रावधान है कि संबंधति **उच्च न्यायालय** के समक्ष नरिवाचन याचकिा को छोड़कर कसिी भी प्रकार से नरिवाचन पर सवाल नहीं उठायर जाएगा। जनि आधरों पर ऐसी नरिवाचन याचकिा दारर की जा सकती है, उनमें से एक नामांकन पत्रों की अनुचति अस्वीकृति है।
 - सूरत के नवीन मामले में उपलब्ध कानूनी उपाय गुजरात उच्च न्यायालय में नरिवाचन याचकिा दारर करना है। RPA में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय छह माह के भीतर ऐसे वचिरण पूरी कर लेने का प्रयास करेंगे, हालांकि अतीत में प्रायः इसका पालन नहीं कयि गया है। नरिवाचन याचकिाओं का शीघर नसितारण सही दशिा में एक कदम होगा।

नोट

अनुच्छेद 329 – नरिवाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वरजन:

■ इस संवधिन में कसिी बात के होते हुए भी—

- अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिये तात्परयति कसिी ऐसी वधि की वधिमानयता, जो नरिवाचन-क्षेत्रों के परसिीमन या ऐसे नरिवाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधति है, कसिी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।
- संसद के प्रत्येक सदन या कसिी राज्य के वधिन-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये कोई नरिवाचन ऐसी नरिवाचन अरजी पर ही प्रश्नगत कयि जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचति वधिन-मंडल द्वारा बनाई गई वधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध कयि जाए, अन्यथा नहीं।

नरिवाचन याचकिा का वचिरण – RPA 1951 की धारा 86:

- उच्च न्यायालय को नरिवाचन अरजी उपस्थापति कयि जाने के पश्चात् यथाशीघर उसे उस न्यायाधीश को या उन न्यायाधीशों में से एक को नरिदषिट कयि जाएगा जो नरिवाचन अरजियों के वचिरण के लिये **मुख्य न्यायाधीश** द्वारा धारा 80A की उपधारा (2) के अधीन समनुदषिट कयि गया है या कयि गए हैं।
- नरिवाचन अरजी का वचिरण, जहाँ तक कि वह वचिरण के बारे में न्याय के हतियों से संगत रहते हुए साध्य हो उसकी समाप्त तक दनि प्रतदिनि चालू रहेगा, जब तक उच्च न्यायालय उन कारणों से जो अभलिखति कयि जाएँगे यह नषिकर्ष न निकाले कि वचिरण को आगामी दनि से परे स्थगति करना आवश्यक है।
- प्रत्येक नरिवाचन याचकिा पर यथासंभव शीघरता से वचिरति की जाएगी और उस तथि से, जिसको नरिवाचन अरजी उच्च न्यायालय को वचिरण के लिये उपस्थापति की गई है, छह माह के भीतर वचिरण को पूर्ण करने का प्रयास कयि जाएगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना:**
 - पीडति पक्ष उच्च न्यायालय के आदेश के 30 दनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दारर कर सकता है:
 - **जगन नाथ बनाम जसवंत सहि (1954) मामले** में नरिवाचन वविदों पर एक महत्त्वपूर्ण नरिणय देते हुए **सर्वोच्च न्यायालय** ने स्थापति कयि कि यह साबति करने का भार याचकिाकर्तर पर है कि कसिी उम्मीदवार का नरिवाचन भ्रष्ट आचरण से उल्लेखनीय रूप से प्रभावति हुआ है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कयि कि नरिवाचन याचकिा का दारर RPA 1951 की धारा 100 में उल्लिखति आधर तक ही सीमति है।
 - मोहदिर सहि गलि बनाम मुख्य नरिवाचन आयुक्त (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दयि कि नरिवाचन नषिपक्ष रूप से आयोजति कयि जाने चाहयि और इस सदिधांत का कोई भी उल्लंघन नरिवाचन को रद्द कर देगा। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि नरिवाचन न्यायाधिकरण भ्रष्ट आचरण के आरोपों की जाँच कर सकता है, भले ही नरिवाचन याचकिा में यह मांग स्पष्ट रूप से नहीं की गई हो।
- **‘फरसट-पासट-द-पोसट-ससिटम’ (FPTPS) में संशोधन:**
 - RPA 1951 में पहली बार नामांकन दाखलि करने वाले कसिी भी उम्मीदवार के न होने पर दूसरी अधसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकनि उसके बाद पुनः इसे दोहराए जाने पर यह मूक है। हालांकि, इसके पास एक समाधान यह है लोगों को पूरी तरह से अपवर्जति कयि जाए, यदि लोग नरिवाचन से दूर रहते हैं और ‘नोटा’ के वकिलप से वंचति हैं, क्योंकि नोटा का लोकतांत्रकि अभयास में कोई महत्त्व नहीं है।
 - उम्मीदवार इस प्रकरयिा को रद्द कर सकते हैं लेकनि लोग सामूहकि रूप से ऐसा नहीं कर सकते। वजियी उम्मीदवारों की घोषणा के लिये मतों का न्यूनतम प्रतशित लागू कर **फरसट-पासट-द-पोसट-ससिटम** में संशोधन करने पर वचिर कयि जाना चाहयि।
 - इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार दूसरी बार भी नरिवाचन के लिये स्वयं को पेश नहीं करता है तो उस सीट को मनोनीत की श्रेणी में स्थानांतरति कर दयि जाना चाहयि, जहाँ **भारत के राष्ट्रपति** सरकार से परामर्श कयि बिना नरिधारति योग्यता के अनुसार कसिी व्यक्ती को मनोनीत कर सकते हैं।

नषिकरषः

भारत में नषिपकष और पारदर्शी चुनावी प्रकरयिा सुनशिचति करना लोकतांत्रकि सदिधांतों को बनाए रखने के लयि महत्त्वपूरण है, लेकनि जब उम्मीदवारों को नरि्वरिोध नरिवाचति कयि जाने से इस लकष्य से समझौता हो जाता है। भारत व्यापक कानूनी ढाँचे, सुदृढ संस्थानों और सकरयि नागरकि भागीदारी के माध्यम से ऐसे नरिवाचनों की दशिा में प्रयास कर सकता है जो कदाचार एवं हेरफेर से मुक्त हों। चुनावी प्रकरयिा की अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करना राजनीतकि दलों, चुनावी अधिकारयिों और न्यायपालकिा सहति सभी हतिधारकों के लयि अनवार्य है। भारत नषिपकषता, पारदर्शतिा और जवाबदेही के मूल्यों को बरकरार रखते हुए अपनी लोकतांत्रकि नीव को सुदृढ कर सकता है तथा यह सुनशिचति कर सकता है कलोगों की इच्छा एवं अभवियक्त शिसन की आधारशलिा बनी रहे।

अभ्यास प्रश्नः भारत में स्वतंत्र और नषिपकष नरिवाचन सुनशिचति करने में लोक प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951 के महत्त्व की चरचा कीजयि। यह समय के साथ कसि प्रकार वकिसति हुआ है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकियाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतकि दलों के वभिाजन/वलिास से संबंधति वविाद नपिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????????:

प्रश्न. आदर्श आचार-संहतिा के उदभव के आलोक में, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमकिा का वविचन कीजयि। (2022)

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लयि भारत नरिवाचन आयोग ने वर्ष 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दयिा है। सुझाए गए सुधार क्ये हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे कसि सीमा तक महत्त्वपूरण हैं? (2017)